

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठारीन अधिकारी-श्री वीरमा राम, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2025/5598

दिनांक - 27.06.25

प्रार्थीगण

बनाम

अप्रार्थीगण

1 गुमनाराम पुत्र गोरधनराम  
2 घमण्डाराम पुत्र भैराराम 3  
तुलसी देवी पत्नि मूलाराम 4  
नेनू देवी पत्नि भैराराम 5  
बगत्ताराम पुत्र भैराराम 6  
मगाराम पुत्र गोरधनराम 7  
मानाराम पुत्र भैराराम 8  
रुगनाथराम 9 लाखाराम  
पिसरान भीखाराम जाति जाट  
निवासी हरखाली तहसील  
बाटाडु जिला बाड़मेर।


1 केशराराम 2 नवलाराम 3 गुणेशाराम पिसरान  
राजुराम 4 मालु देवी पत्नि पेमाराम 5 मेगाराम  
पुत्र चैनाराम 6 खेगाराम पुत्र लाधाराम 7 देवाराम  
पुत्र पेमाराम 8 गोमाराम 9 खीयाराम पिसरान  
मोटाराम 10 भगवानाराम पुत्र रामुराम 11 जीयो  
देवी पत्नि रामुराम 12 धनाराम पुत्र रामुराम 13  
पीराराम पुत्र नरसिगाराम 14 गेनाराम पुत्र  
रुगनाथराम 15 किशोर कुमार 16 मनोहर कुमार  
पिसरान ताजाराम 17 मागाराम पुत्र रुगनाथराम  
18 मुलाराम पुत्र विरगाराम 19 धाई देवी पत्नि  
ताजाराम 20 देवाराम 21 ताजाराम पिसरान  
रुगनाथराम जाति जाट निवासी हरखाली  
तहसील बाटाडु जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :- 155/2024

दिनांक- 24/06/25

## आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा हरखाली पटवार क्षेत्र हरखाली तहसील बाटाडु जिला बाड़मेर के खसरा संख्या क्रमशः 652, 653 व 674 रकबा क्रमशः 0.0243, 9.3682 व 10.0235 हैक्टयर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाटाडु को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

  
(वीरमा राम)

उपखण्ड अधिकारी,  
उपखण्ड अधिकारी


दिनांक बाड़मेर

27.6.25

क्रमांक :- रीडर/2025/5599 - 5602

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाटाडु पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी हरखाली तहसील बाटाडु को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण गुमनाराम पुत्र गोरधनराम जाति जाट निवासी हरखाली तहसील बाटाडु जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण केशराराम पुत्र राजुराम वगैरह जाति जाट निवासी हरखाली तहसील बायतु जिला बाड़मेर।

  
उपखण्ड अधिकारी,  
उपखण्ड अधिकारी  
बाड़मेर